न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष – बुधेश्वर सिंह ।

बनाम

द्वितीय पक्ष – धर्मा सिंह, ... बगैरह।

वाद सं0 49 / 2023

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना कुरकुरा के अप्राथमिकी सं0 07 / 2023 दिनांक 12 / 06 / 2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) बुधेश्वर सिंह उम्र 55 वर्ष पिता स्व0 सोमन सिंह (2) बलराम सिंह उम्र 20 वर्ष पिता बुद्धेश्वर सिंह ग्राम कुलबुरू थाना कुरकुरा, जिला गुमला बनाम **द्वतीय पक्ष** (1) धर्मा सिंह उम्र 35 वर्ष पिता स्व0 नाधु सिंह (2) भानुमति देवी उम्र 40 वर्ष पति बुद्धेश्वष्र सिंह (3) रोनी देवी उम्र 40 वर्ष पति धर्मा सिंह सभी ग्राम कुलबुरू थाना कुरकुरा, जिला गुमला के बीच दोनो पक्षो के बीच तनाव को लेकर आपसी विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षो के द्वारा अशांति फैलाने की सम्भावना है।	
	उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :–	
	उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कुरकुरा या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं।	
	अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई की समय अवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।	
	लेखापित ।	
	अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.07.02 20:32:21 +05:30
Location: 192.168.246.206